न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 52/2015 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र किशनलाल,
2. महेन्द्रसिंह पुत्र किशनलाल,
3. चिम्मन लाल पुत्र किशनलाल,
4. नरेन्द्र मुरारिया पुत्र किशनलाल,
5. हरिप्रसाद मुरारिया पुत्र किशनलाल,
6. मनोहरी देवी पत्नी किशनलाल जातियान बैरवा निवासीयान ग्राम बिचगांवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र हरिकिशन जाति जाट,
2. गोविन्द सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति जाट निवासीयान ग्राम बिचगांवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री आशीष खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री भरत जैन अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–01.11.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 23.11.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सायलान/अपीलार्थीगण ने एक दावा हुक्म ईम्तनाई दवामी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0 नं0 454 तथा 456 के बीच में होकर ख0 नं0 455 गै0मु0 नाला स्थित है जिसमें

होकर ग्राम बिचगांवा बांध का पानी आता है जिसके दक्षिण से पानी आकर तरफ उत्तर को चला जाता है तथा ख0 नं0 454 ख0नं0 455 व 456 के तरफ उत्तर में सड़क है वो इसके बाद आबादी है जिससे इस नाले को रास्ते के रूप में भी काम में लेते हैं । ख0 नं0 454 में 1/2 भाग का मूल्या खातेदार था जो हम सायलान ने खरीद कर लिया है तथा ख0 नं0 456 का 1/2 भाग भी सायलान द्धारा खरीद कर लिया गया है । सायलान का पिता किशनलाल फौत हो चुका है जिसके हम सायलान वारिस हैं । आराजी ख0 नं0 454 में 1/2 भाग का रेस्पो0 सं0 1 खातेदार है जो ख0 नं0 454, 456 के उत्तर की तरफ जो सड़क है उससे पहले ही ख0 नं0 454, 456 के मध्य डोडी का गेट बनाकर उक्त नाला व रास्ता अवरूद्ध कराना चाहता है । ख0 नं0 455 सरकारी भूमि है जिस पर गैर सायलान को किसी प्रकार से निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । गैर सायलान जबरदस्त लोग है जो ख0 नं0 455 गै0मु0 नाला व रास्ता की भूमि पर निर्माण कार्य करने के लिए ईट, बजरी वगैरा पटक रखे हैं तथा हमारी आराजी को जाने वाले रास्ते को नाले पर मिटटी वगैरा का गैट बनाकर रोकने का असफल प्रयास किया जिस पर जब तो सायलान व दीगर लोगों के कहने पर ये लोग मान गये लेकिन ऐलानिया तौर पर धमकी दी है कि नाला रास्ते पर जबरन अतिक्रमण कर कच्चा व पक्का निर्माण कर नाला, रास्ता अवरूद्ध करके रहेगें । यदि गैर सायलान अपने इस नापाक इरादे में सफल हो गये तो सायल को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी । इसलिए गैर सायलान को पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 23.11.2015 को सायल का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिस निर्णय दि0 23.11.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

प्रस्तुत अपील पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण को सुना गया । अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि विवादित आराजी ख0 नं0 455 रेकार्ड में गैर मुमकिन नाला है तथा इस नाले के सहारे–सहारे सायलान/अपीलांटान का घर तथा खेत के लिए रास्ता जाता है जिसे रेस्पो0 /गैर सायलान ताकत के बल पर बन्द करना चाहते हैं । ख0 नं0 455 के उत्तर में ख0 नं0 454 में सायलान के मकानात वगैरा बने हुए है तथा इसमें 1/2 हिस्से की खातेदारी काश्तकारी दर्ज रेकार्ड है । ख0 नं0 456 के दक्षिण में गैर सायलान/रेस्पो0 की आराजी है । गैर सायलान/ रेस्पो0 इस नाले पर अतिक्रमण करके अवरूद्ध करके स्वयं का दरवाजा लगाकर रास्ता बन्द करना चाहते हैं । इससे हमें खेतों में आने–जाने की समस्या रहेगी । इसलिए रेस्पो0/गैर सायलान को 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश करके पाबन्द कराना चाहा था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट को अपने निर्णय दि0 23.11.2015 से गलत रूप से खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की है ।

7.11.17

बहस में आगे कहा कि गै0मु0 नाले पर अतिक्रमण नहीं हो, उस पर होकर जाने वाले रास्ते को कोई अवरूद्ध नहीं करें । इसलिए रेस्पो0/गैर सायलान को धारा 225 में पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें ।

अपीलांट ने स्वयं का रास्ता रूकने व नाले में होकर बहकर जाने वाले पानी की रूकावट घर खेत वगैराह में आने–जाने की समस्यायें बताकर धारा 212 के तीनों बिन्दुओं को अपने पक्ष में होना जाहिर करते हुए प्रार्थना पत्र/अपील को स्वीकार करने की इस्तदुआ की है ।

रेस्पो0/गैर सायलान के अभिभाषक का कथन है कि विवादित आराजी सायल की खातेदारी की आराजी नहीं है बल्कि यह राजकीय भूमि है जो रेकार्ड में गै0मु0 नाला दर्ज है । इससे सायल/अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । ख0 नं0 455 न तो सायल की खातेदारी की आराजी हे और न ही कब्जा काश्त की है । अतः अपीलांट को किसी भी स्थिति में धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद लाने तथा 212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । बहस जवाब में आगे कहा कि ख0 नं0 455 की आड में सायलान/अपीलांटान उनकी खातेदारी व रिहायशी जमीन में चारदीवारी को रूकवाना चाहते हैं जिनका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

अतः अपीलांट/सायलान का तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ ने अपने आदेश दि0 23.11.2015 से प्रार्थना पत्र 212 सही खारिज किया है और इसी बिनाय पर यह अपील भी खारिज किये जाने योग्य है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र सहित निर्णय का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट/सायलान द्वारा तहत न्यायालय में एक स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया जिसके साथ 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था जिसे तहत न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज किया है कि विवादित आराजी ख0 नं0 455 गै0मु0 नाला दर्ज रेकार्ड है जो कि सरकार के खाते में दर्ज है । इस आराजी का अपीलांट/सायलान खातेदार नहीं है । अतः उसे सरकारी जमीन पर किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती है । जहां तक इस पर अतिक्रमण का प्रकरण है तो तहसीलदार अलग से धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के साथ कार्यवाही कर सकता है । प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट खारिज किया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट/सायलान का जो प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया है उसमें हम कोई कमी नहीं पाते हैं । जहां तक

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होना या रास्ता अवरूद्ध किया जाना पाया जाता है तो अपीलांट/सायलान अपने स्तर पर तहसीलदार/प्रशासन से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रार्थना कर सकता है । अपील के स्तर पर आर.टी.एक्ट में अपीलांट को 212 आर.टी.एक्ट में कोई रिलीफ कानूनी रूप से नहीं दी जा सकती है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ का निर्णय दिनांक 23.11.2015 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आंज दिनांक 01.11.2017 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

01.11.17 01.11.17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर